न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

समक्ष : मनोज गोयल

अध्यक्ष

प्रकरण क्रमांक निगरानी 2657-एक/13 विरूद्ध आदेश दिनांक 26-4-2013 पारित द्वारा अनुविभागीय अधिकारी गौहरगंज जिला रायसेन, प्रकरण क्रमांक 56/अपील/2011-12

शौकत अली आत्मज श्री इज्जत अली
ग्राम चिकलादकलां टप्पा सुलतानपुर तहसील गौहरगंज,
जिला रायसेन

.....आवेदक

विरूद्ध

श्रीमती साजिदा सुल्तान (मृतक) द्वारा उत्तराधिकारी
सैफ अली आत्मज श्री नवाव मंसूर अली खॉ
पटोदी निवासी तर्फे खास आसिफ फलेग स्टाफ
अहमदाबाद भोपाल

.....अनावेदक

श्री नीरज श्रीवास्तव, अभिभाषक, आवेदक

:: आ दे श ::

(आज दिनांक 15/9/16 को पारित)

आवेदक द्वारा यह निगरानी म.प्र. भू-राजस्व संहिता, 1959 (जिसे संक्षेप में संहिता कहा जायेगा) की धारा 50 के अंतर्गत अनुविभागीय अधिकारी गौहरगंज जिला रायसेन द्वारा पारित आदेश दिनांक 26-4-2013 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई हैं।

2/ प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि आवेदक द्वारा तहसीलदार के आदेश दिनांक 2-12-2011 के विरूद्ध प्रथम अपील अनुविभागीय अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत किये जाने पर अनुविभागीय अधिकारी द्वारा अपील प्रकरण क्रमांक 58/अपील/अ-6/2011-12 दर्ज कर कार्यवाही प्रारंभ की गई । कार्यवाही के दौरान शर्मिला टेगौर पत्नी स्व0नबाव मोहम्मद मंसूर अली खा की ओर से व्यवहार प्रकिया संहिता के आदेश एक नियम 10 के अन्तर्गत पक्षकार बनने हेतु आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया । अनुविभागीय अधिकारी द्वारा दिनांक 26-4-2013 को अंतरिम आदेश पारित कर आवेदन पत्र स्वीकार करते हुये श्रीमती शर्मिला टेगौर को अपीलार्थी के रूप में संयोजित किया गया । अनुविभागीय अधिकारी के इसी आदेश के विरूद्ध यह निगरानी इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है।

3/ आवेदक के विद्वान अभिभाषक द्वारा लिखित तर्क में मुख्य रूप से निम्नलिखित आधार उठाये गये है :-

(1) अनुविभागीय अधिकारी के समक्ष मुख्त्यार आम मनमोहन अग्रवाल जिस मुख्त्यारनामे के आधार पर व्यवहार प्रक्रिया संहिता के आदेश 1 नियम 10 के अन्तर्गत शर्मिला टेगौर को पक्षकार बनाये जाने का आवेदन पत्र प्रस्तुत किया है वह मुख्त्यारनामा प्रथमदृष्टया कूटरचित एवं फर्जी है । अनुविभागीय अधिकारी के समक्ष उक्त आवेदन पत्र पर आवेदक द्वारा आपत्ति प्रस्तुत की गई थी जिस पर अनुविभागीय अधिकारी द्वारा बिना विचार किये आदेश पारित किया गया है जो निरस्त किये जाने योग्य है ।

(2) आवेदकगण की ओर से लिखित तर्क में उठाये गये अन्य आधार इस प्रकरण में प्रासंगिक नहीं होने से उन पर विचार नहीं किया जा रहा है ।

4/ आवेदक के विद्वान अभिभाषकों द्वारा प्रस्तुत तर्कों के सदंर्भ में अभिलेख का अवलोकन किया गया। अनुविभागीय अधिकारी द्वारा श्रीमती शर्मिला टैगोर को पक्षकार बनाने में किसी प्रकार की कोई अवैधानिकता अथवा अनियमितता नहीं की गई है । आवेदक के विद्वान अधिवक्ता द्वारा इस न्यायालय में केवल यही तर्क प्रस्तुत किया गया है कि मुख्त्यारआम मनमोहन अग्रवाल के पक्ष में निष्पादित मुख्त्यारनामा कूटरचित एवं फर्जी है, अतः यदि मुख्त्यारनामा संदेहास्पद है, तब अनुविभागीय अधिकारी को मूल भूमिस्वामी को पक्षकार बनाना चाहिये । इस प्रकरण में यह विधिक आवश्यकता है कि अनुविभागीय अधिकारी का आदेश स्थिर रखा जाकर उन्हें निर्देशित किया जाये कि प्रकरण में मूल भूमिस्वामी को पक्षकार बनाकर अग्रिम कार्यवाही करें ।

5/ उपरोक्त विवेचना के आधार पर अनुविभागीय अधिकारी गौहरगंज जिला रायसेन द्वारा पारित आदेश दिनांक 26-4-2013 स्थिर रखा जाता है । प्रकरण उपरोक्त विश्लेषण के परिप्रेक्ष्य में निराकरण हेतु अनुविभागीय अधिकारी को प्रत्यावर्तित किया जाता है ।

(मनोज गोयल)
अध्यक्ष
राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश
ग्वालियर